रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-13102022-239611
CG-DL-W-13102022-239611

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 35] **नई दिल्ली, सितम्बर 25—अक्तूबर 1, 2022, शनिवार/ आश्विन 3—आश्विन 9, 1944**

No. 35] **NEW DELHI, SEPTEMBER 25—OCTOBER 1, 2022, SATURDAY/ASVINA 3—ASVINA 9, 1944**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 140.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (स्टाफ कार ड्राइवर) भर्ती नियम, 2001 को, जहां तक उनका संबंध स्टाफ कार ड्राइवर साधारण श्रेणी, स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी II और स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी I के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी II और स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी I के पद/पदों पर भर्ती की पद्धति बिनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी II और स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी I (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(I) में यथा बिनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और बेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका बर्गीकरण और इससे संलग्न बेतन मैट्रिक्स में स्तर होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ(4) में बिनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्वति, आयु-सीमा, अर्हताएँ, आदि. —उक्त पदों पर भर्ती की पद्वति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में बिनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या विवाह किया है या विवाह की संबिदा की है: या

(ख़) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संबिदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय बिधि के आधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के परवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी बर्ग या प्रबर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रबर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों के संख्या	बर्गीकरण	बेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	2* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिविय	बेतन मैट्रिक्स में स्तर- 2 (19900-63200 रुपये)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(6)	(7)
आयु 18 से 25 वर्ष के बीच । (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों के दशा में शिथिल करके 40 बर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 बर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । *यदि 'सीधी खुली प्रतियोगिता परीक्षा' द्वारा 'सीधी भर्ती' की जानी है, तो आयु सीमा 18 से 27 वर्ष होगी।	**आवश्यक :** (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति; (iii) मोटर यंत्र क्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी यान में छोटी मोटी खराबी को दूर करने के योग्य हो; और (iv) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन बर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** होमगार्ड या नागरिक स्वयंसेवक के रूप में तीन बर्ष की सेवा। **टिप्पण 1:** अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकाअनुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले लिए व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा बिभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों या पुनर्नियोजित व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

	टिप्पण: केंद्र सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रेरण प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सशस्त्र बल कर्मियों के लिए: प्रतिनियुक्ति/आमेलन I

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में बेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18,000-56900 रुपये) ऐसे नियमित सवारहरकारा (समूह ग) और समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिनके पास मोटर कार चलाने के लिए सक्षम निर्धारण करने के लिए चालक परीक्षण के आधार पैर मोटर कार के लिए बिधिमान्य चालक अनुज्ञप्ति हो जिसके न हो सकने पर ऐसे पटधारी जो केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में नियमित आधार पर सवारहरकारा को पद या नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों का पदधारण किया हुए हैं और जो स्तंभ (7) में यथा उल्लिखित आवश्यक अर्हताएँ पूरी करते हों I **सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति /पुनर्नियोजन :** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिको के संबंध में भी विचार किया जायेगा जो एक वर्ष की अवधी के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में बिचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे I** 1. उप सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - सदस्य 3. अवर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग - सदस्य।	लागू नहीं होता ।

विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनो पर रखा जायेगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनिनिर्योजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण 1:** पोषक प्रबर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगें। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगें। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधी, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधी है साधारणतया **तीन** वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)
2. स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी II	2* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिविय	बेतन मैट्रिक्स में स्तर- 4 (25500-81100 रुपये)

(5)	(6)	(7)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200 रुपये) में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ बर्ष नियमित सेवा की है और जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी बिचार किया जायेगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो बर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधी सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में बिचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे ।** 1. उप सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - सदस्य 3. अवर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग - सदस्य।	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी I	1* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिविय ।	बेतन मैट्रिक्स में स्तर- 5 (29200-92300 रुपये)

(5)	(6)	(7)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रुपये) में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी II जिन्होंने उस श्रेणी में छह बर्ष नियमित सेवा की है और जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो I **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी बिचार किया जायेगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो बर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधी सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो I	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में बिचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे I** 1. उप सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - सदस्य 3. अवर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग - सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. बी सी-12015/2/2020- बी सी-II]

एन एस. वेंकटेश्वरन, अवर सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

New Delhi, the 30th August, 2022

G.S.R. 140.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Commission for Backward Classes (Staff Car Drivers) Recruitment Rules, 2001, in so far as they relate to the posts of Staff Car Driver Ordinary Grade, Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver Grade I, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver (Ordinary Grade), Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver Grade I, in the National Commission for Backward Classes, Ministry of Social Justice and Empowerment , namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Commission for Backward Classes, Staff Car Driver (Ordinary Grade), Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver Grade I (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2022 .

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts as specified in column (I) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Staff Car Driver (Ordinary Grade).	2* (2022) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable	18 to 25 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in case of general candidates, upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. *If the 'direct recruitment' is to be made by 'direct open competitive examination, the age-limit would be 18 to 27 years.	(i) 10th class pass from a recognised Board; (ii) possession of a valid driving license for motor cars; (iii) knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicle); and (iv) experience of driving a motor car for at least three years. **Desirable:** Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note 1:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority. **Note 2:** In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruits or re-employed. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	Deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment.

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation/ absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group C employees in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) in the National Commission for Backward Classes, Ministry of Social Justice and Empowerment who possess valid driving license for motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). **Deputation/ re-employment for Armed Forces Personnel:** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. Deputy Secretary, National Commission for Backward Classes – Chairperson 2. Under Secretary, National Commission for Backward Classes – Member 3. Under Secretary, Department of Social Justice and Empowerment – Member.	Not applicable**.**

direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Staff Car Driver Grade II	2* (2022) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).

(5)	(6)	(7)
Non-selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Central Government. **Note:** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (1) Deputy Secretary, National Commission for Backward Classes – Chairperson (2) Under Secretary, National Commission for Backward Classes – Member (3) Under Secretary, Department of Social Justice and Empowerment – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Staff Car Driver Grade I.	1* (2022) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).

(5)	(6)	(7)
Non-selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion. Staff Car Driver Grade II in level 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with six years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Central Government. **Note:** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (1) Deputy Secretary, National Commission for Backward Classes – Chairperson (2) Under Secretary, National Commission for Backward Classes – Member (3) Under Secretary, Department of Social Justice and Empowerment – Member.	Not applicable.

[F. No. BC-12015/2/2020-BC-II]

N.S. VENKATESHWARAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.10.13 15:40:47 +05'30'